बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना – 800001

विज्ञापन संख्या 07/2018, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त अधियाचना के आधार पर बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में सहायक प्राचार्य (Assistant Professor), संगीत विषय में आरक्षण कोटिवार रिक्त 02 (दो) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 02 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है :–

क्र॰ सं॰	कोटि	कोटिवार रिक्ति की कुल संख्या	इनमें महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	गैर–आरक्षित वर्ग (01)	01	–
	अनुसूचित जाति (02)	–	–
	अनुसूचित जनजाति (03)	–	–
	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04)	01	–
	पिछड़ा वर्ग (05)	–	–
	पिछड़ा वर्ग की महिला (06)	–	–
कुल		**02**	**00**

2. **वेतनमान :– 15600–39100/– तथा ग्रेड पे0 6000/–**
3. **शैक्षणिक योग्यता:–**
   I. सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का अकादमिक रिकॉर्ड सर्वत्र अच्छा तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड) होना चाहिए। राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को प्राप्तांक में पांच प्रतिशत, जबकि भारत संघ के भाग के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर पांच प्रतिशत अंकों की शिथिलता प्रदान की जाएगी। परन्तु किसी उम्मीदवार को दोनों तरह का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
   II. उम्मीदवार को नेट/सेट अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समतुल्य जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
   III. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम0फिल0/पीएच0डी0 के लिए गठित न्यूनतम मानक प्रक्रिया विनियम 2009 के अनुसार पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त कर ली हो, उन्हें नेट की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता से छुट होगी ।
   IV. नेट/सेट की आवश्यकता ऐसे स्नातकोत्तर विषयों में नहीं होगी, जिसमें नेट/सेट आयोजित नहीं की जाती है।

   नोटः– आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि ही शैक्षणिक योग्यता के लिए कट–ऑफ–डेट होगा।
4. **उम्र सीमा** :–सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम उम्र सीमा 23 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
5. **चयन प्रक्रिया** – शैक्षणिक अर्हत्ता के लिए 85 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। शैक्षणिक अर्हत्ता एवं साक्षात्कार के लिए अंकों का विवरण निम्नवत होगा–

परीक्षा	अधिकतम अधिभार	अनुसूची
मैट्रिक	10	I
इंटर	10	II
स्नातक	25	III
स्नातकोत्तर	30	IV
पीएच0डी अथवा एम0 फिल0	10	V
उप योग	85	
साक्षात्कार	15	
कुल योग	100	

हालांकि अभ्यर्थियों को पीएच0डी0/एम0फिल0 डिग्री का लाभ मिलेगा, परन्तु अभ्यर्थी या तो एम0फिल0 या पीएच0डी0 के लाभ का दावा करने का पात्र होगा, दोनों का कदापि नहीं।

ग्रेड बिन्दुओं का समतुल्य प्रतिशत संपरिवर्त्तन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित संपरिवर्त्तन–फार्मूला के अनुसार किया जाएगा। परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेड बिन्दुओं का समतुल्य प्रतिशत फार्मूला विनिश्चित नहीं किया गया है तथा जहाँ ग्रेड बिन्दु प्रणाली नहीं अपनायी जाती हो, वहाँ शैक्षणिक मेधा के लिए अंकों का विनिश्चय संलग्न अनुसूची I, II, III एवं IV के अनुसार किया जाएगा।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विकल्प, रिक्ति तथा आरक्षण रोस्टर के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।

शैक्षणिक अर्हत्ता तथा साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त अंक एक समान होने पर, ऐसे उम्मीदवार को, जिन्हें शैक्षणिक अर्हत्ता में अधिक अंक प्राप्त हुआ हो, मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। शैक्षणिक अर्हत्ता के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, जो उम्मीदवार, जन्म तिथि के आधार पर, वरीय होंगे उन्हें मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की जन्म तिथि समान होने पर, अभ्यर्थी जिसका नाम देवनागरी लिपि में वर्णक्रम में प्रथम हो, अंतिम मेधा सूची में उसे उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।

अनुसूची-I

मैट्रिक स्तर पर प्राप्त होने वाले प्राप्तांक के आधार पर मिलने वाले अधिभार अंक

क्र0	ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
1	5.50 एवं उससे उपर	75	10.0
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2
6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4
10	4.60	66	8.2
11	4.50	65	8.0
12	4.40	64	7.8
13	4.30	63	7.6
14	4.20	62	7.4
15	4.10	61	7.2
16	4.00	60	7.0
17	3.90	59	6.8
18	3.80	58	6.6
19	3.70	57	6.4
20	3.60	56	6.2
21	3.50	55	6.0
22	3.40	54	5.8
23	3.30	53	5.6
24	3.20	52	5.4
25	3.10	51	5.2
26	3.00	50	5.0
27	2.90	49	4.8
28	2.80	48	4.6
29	2.70	47	4.4
30	2.60	46	4.2
31	2.50	45	4.0
32	2.40	44	3.8
33	2.30	43	3.6
34	2.20	42	3.4
35	2.10	41	3.2
36	2.00	40	3.0
37	1.90	39	2.8
38	1.80	38	2.6
39	1.70	37	2.4
40	1.60	36	2.2
41	1.50	35	2.0

नोटः– यदि किसी अभ्यर्थी को समतुल्य प्रतिशत अंक दो क्रमिक पूर्णांक प्रतिशत अंक के मध्य का कोई भिन्नांक हो तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को मिलने वाले उच्चतर अथवा निम्नतर अधिभार अंक की गणना भिन्नांक में शामिल दशमलव अंक के 0.5 अंक से कम 0.5 अथवा 0.5 से अधिक होने के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण:-

समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
59	6.8
58	6.6
58.6	6.8
58.4	6.6
ग्रेड बिन्दु	**अधिभार अंक**
3.90	6.8
3.80	6.6
3.86	6.8
3.84	6.6

अनुसूची-II

इटरमीडिएट स्तर पर प्राप्त होने वाले प्राप्तांक के आधार पर मिलने वाले अधिभार अंक

क्र0	ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
1	5.50 एवं उससे उपर	75	10.00
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2

6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4
10	4.60	66	8.2
11	4.50	65	8.0
12	4.40	64	7.8
13	4.30	63	7.6
14	4.20	62	7.4
15	4.10	61	7.2
16	4.00	60	7.0
17	3.90	59	6.8
18	3.80	58	6.6
19	3.70	57	6.4
20	3.60	56	6.2
21	3.50	55	6.0
22	3.40	54	5.8
23	3.30	53	5.6
24	3.20	52	5.4
25	3.10	51	5.2
26	3.00	50	5.0
27	2.90	49	4.8
28	2.80	48	4.6
29	2.70	47	4.4
30	2.60	46	4.2
31	2.50	45	4.0
32	2.40	44	3.8
33	2.30	43	3.6
34	2.20	42	3.4
35	2.10	41	3.2
36	2.00	40	3.0
37	1.90	39	2.8
38	1.80	38	2.6
39	1.70	37	2.4
40	1.60	36	2.2
41	1.50	35	2.0

नोटः– यदि किसी अभ्यर्थी को समतुल्य प्रतिशत अंक दो क्रमिक पूर्णांक प्रतिशत अंक के मध्य का कोई भिन्नांक हो तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को मिलने वाले उच्चतर अथवा निम्नतर अधिमार अंक की गणना भिन्नांक में शामिल दशमलव अंक के 0.5 अंक से कम 0.5 अथवा 0.5 से अधिक होने के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण:-

समतुल्य प्रतिशत	अधिमार अंक
59	6.8
58	6.6
58.6	6.8
58.4	6.6
ग्रेड बिन्दु	**अधिमार अंक**
3.90	6.8
3.80	6.6
3.86	6.8
3.84	6.6

अनुसूची-III

स्नातक स्तर पर प्राप्त होने वाले प्राप्तांक के आधार पर मिलने वाले अधिमार अंक

क्र0	ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशत	अधिमार अंक
1	5.50 एवं उससे उपर	75	25.0
2	5.40	74	24.5
3	5.30	73	24.0
4	5.20	72	23.5
5	5.10	71	23.0
6	5.00	70	22.5
7	4.90	69	22.0
8	4.80	68	21.5
9	4.70	67	21.0
10	4.60	66	20.5
11	4.50	65	20.0
12	4.40	64	19.5
13	4.30	63	19.0
14	4.20	62	18.5
15	4.10	61	18.0
16	4.00	60	17.5
17	3.90	59	17.0
18	3.80	58	16.5
19	3.70	57	16.0
20	3.60	56	15.5
21	3.50	55	15.0
22	3.40	54	14.5
23	3.30	53	14.0
24	3.20	52	13.5
25	3.10	51	13.0
26	3.00	50	12.5
27	2.90	49	12.0
28	2.80	48	11.5
29	2.70	47	11.0
30	2.60	46	10.5
31	2.50	45	10.0
32	2.40	44	9.5
33	2.30	43	9.0
34	2.20	42	8.5
35	2.10	41	8.0
36	2.00	40	7.5
37	1.90	39	7.0
38	1.80	38	6.5
39	1.70	37	6.0
40	1.60	36	5.5
41	1.50	35	5.0

नोटः– यदि किसी अभ्यर्थी को समतुल्य प्रतिशत अंक दो क्रमिक पूर्णांक प्रतिशत अंक के मध्य का कोई भिन्नांक हो तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को मिलने वाले उच्चतर अथवा निम्नतर अधिमार अंक की गणना भिन्नांक में शामिल दशमलव अंक के 0.5 अंक से कम 0.5 अथवा 0.5 से अधिक होने के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण:-

समतुल्य प्रतिशत	अधिमार अंक
59	17.0
58	16.5
58.6	17.0
58.4	16.5
ग्रेड बिन्दु	**अधिमार अंक**
3.90	17.0
3.80	16.5
3.86	17.0
3.84	16.5

अनुसूची-IV

स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त होने वाले प्राप्तांक के आधार पर मिलने वाले अधिमार अंक

क्र0	ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशत	अधिमार अंक
1	5.50 एवं उससे उपर	75	30.00
2	5.40	74	29.25
3	5.30	73	28.50
4	5.20	72	27.75
5	5.10	71	27.00
6	5.00	70	26.25
7	4.90	69	25.50
8	4.80	68	24.75
9	4.70	67	24.00
10	4.60	66	23.25
11	4.50	65	22.50
12	4.40	64	21.75
13	4.30	63	21.00
14	4.20	62	20.25
15	4.10	61	19.50
16	4.00	60	18.75
17	3.90	59	18.00
18	3.80	58	17.25
19	3.70	57	16.50
20	3.60	56	15.75
21	3.50	55	15.00
22	3.40	54	14.25
23	3.30	53	13.50
24	3.20	52	12.75
25	3.10	51	12.00
26	3.00	50	11.25

नोटः— यदि किसी अभ्यर्थी को समतुल्य प्रतिशत अंक दो क्रमिक पूर्णांक प्रतिशत अंक के मध्य का कोई भिन्नांक हो तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को मिलने वाले उच्चतर अथवा निम्नतर अधिमार अंक की गणना भिन्नांक में शामिल दशमलव अंक के 0.5 अंक से कम 0.5 अथवा 0.5 से अधिक होने के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण:-

समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
59	18.00
58	17.25
58.6	18.00
58.4	17.25
ग्रेड बिन्दु	**अधिभार अंक**
3.90	18.00
3.80	17.25
3.86	18.00
3.84	17.25

अनुसूची–V

पी0एच0डी0 अथवा एम0फिल0 के लिए अधिभार अंक

क्र0	ग्रेड बिंदु	अधिभार अंक
1	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के साथ पी0एच0डी0 एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	10.00
2	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के साथ पी0एच0डी0 परंतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं	7.00
3	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के बगैर पी0एच0डी0 एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	5.00
4	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के साथ एम0फिल0 एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	4.00
5	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के बगैर एम0फिल0 एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	2.00

6. आरक्षण :–

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल)/मूल निवास प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vii) ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में दिव्यांगता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

7. शुल्क :–

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40% या उससे अधिक दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 25/– (पच्चीस) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/– (एक सौ) रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:– (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	31.08.2018 से 20.09.2018 तक
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	25.09.2018 तक
3.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	01.10.2018 तक
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी कागजात/प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	11.10.2018 के अपराहन 05:00 बजे तक

नोट–1: **जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।**

नोट–2: **जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक–25.09.2018 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।**

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। **उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।**

(viii) **इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।**

(ix) **ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान** (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) **के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

9. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) **अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक–11.10.2018 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :–**

(a) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि के लिए);
(b) मैट्रिक का अंक पत्र;
(c) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र;
(d) इण्टरमीडिएट अंक पत्र;
(e) स्नातक डिग्री प्रमाण–पत्र;
(f) स्नातक डिग्री अंक पत्र;
(g) स्नातकोत्तर का प्रमाण–पत्र;
(h) स्नातकोत्तर का अंक पत्र
(i) एम0फिल0 प्रमाण–पत्र;
(j) पीएच0डी0 प्रमाण–पत्र;
(k) UGC के Regulation 2009 के अंर्तगत पीएच0डी0 डिग्री का दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थी के नाम से विश्वविद्यालय द्वारा UGC के Minimum Standard and Procedure Regulation 2009 के तहत पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने का प्रमाण–पत्र, जिसमें UGC 2009 रेगुलेशन के सभी Criteria का स्पष्ट उल्लेख हो।
(l) UGC के Regulation 2009 के अंर्तगत एम0फिल0 डिग्री का दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थी के नाम से विश्वविद्यालय द्वारा UGC के Minimum Standard and Procedure Regulation 2009 के तहत एम0फिल0 डिग्री प्राप्त करने का प्रमाण–पत्र, जिसमें UGC 2009 रेगुलेशन के सभी Criteria का स्पष्ट उल्लेख हो।
(m) नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र;
(n) जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अंक के बदले ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, वैसे विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों द्वारा अपने विश्वविद्यालयों से ग्रेड सिस्टम को प्रतिशत में बदलने का फार्मूला प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
(o) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण–पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।**
(p) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;
(q) भुगतान से संबंधित डाउनलोड बैंक रसीद की प्रति;
(r) आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
(s) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

(ii) **यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण–पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश–पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा।**

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) **इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, बैंक रसीद एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना होगा।**

10. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। **योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।**

11. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

12. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

13. **इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।**

14. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

15. **उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

16. **आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

7.8.18

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।